संख्या : 175 जेड/6–सा–1–07–61जी/85

प्रे ाक

श्री अशोक कुमार,,
सचिव,
उत्तर प्रदेश ाासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

गृह (सामान्य) अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक : 22 जनवरी, 2007

वि ाय : **दिवंगत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की विधवाओं को एक सहायक के साथ पूरे प्रदेश में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान किया जाना।**

महोदय,

ाासनादेश संख्या–693 जेड/6–89–23जी/92 ,दिनांक 08 मार्च, 1989 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सत्याग्रह आन्दोलन के 100 व ा पूर्ण होने पर ाासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि **दिवंगत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की विधवाओं को भी एक सहायक सहित प्रदेश भर में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की जाय।**

2– यह आदेश दिनांक 01 जनवरी, 2007 से प्रभावी माना जायेगा।

3– अनुरोध है कि आप कृपया ाासन के उक्त निर्णय से अपने जिले के समस्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को समाचार पत्रों आदि के माध्यम से अवगत कराने का क ट करें।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या – ई – 12 –84(।।)/दस – 2007, दिनांक 19 जनवरी, 2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

5– कृपया ाासनादेश की प्रति प्राप्त करने का क ट करें।

भवदीय,

(अशोक कुमार)
सचिव।

पृ0सं0 : 175 (1) जेड/6–सा–1–07 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रे ि ात :–

1– महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2– प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
3– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–12, उ0प्र0 ाासन, लखनऊ।
4– वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1, उ0प्र0 ाासन, लखनऊ।
5– निदेशक/सचिव, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परि ाद, लखनऊ।
6– परिवहन अनुभाग–2/4, उ0प्र0 ाासन लखनऊ को इस आशय से प्रे ि ात कि वे कृपया परिवहन निगम की बसों में दिवंगत सेनानियों की विधवाओं को एक सहायक सहित निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान किये जाने एवं यात्री कर व बीमा अधिभार वसूल न किये जाने के आदेश ीघ्र निर्गत करवा दें।
7– गोपन अनुभाग–1, उ0प्र0 ाासन, लखनऊ को उनके पत्र संख्या–संख्या–4/2/2/2007 सी0एक्स0(1), दिनांक 10 जनवरी, 2007 के संदर्भ में।
8– निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
9– गृह (सामान्य) अनुभाग–1/2/3, उ0प्र0 ाासन।
10– वित्त (सामान्य) अनुभाग–3, उ0प्र0 ाासन।
11– वैभागिक आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(अरूण सिंह)
विशे ा सचिव।